


2018/00303

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदयजी,
ग्राम-जालखेड़ा की जमाबंदी सन् 2011-12 के आता सं. 105 में रामकवरी बेवा-जेना दर्ज है जो कि सम्मानजनक नहीं है अतः रामकवरी धर्मपति-जेना दर्ज किया जाना उचित है।


30/5/18
पटवारी
जालखेड़ा

20/5/18
30-5-18
ILR बडी/का

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी द्वारा व भू. अ. नि. के आधार पर बेवा का धर्मपति किया जाना उचित है।

तहसीलदार
रावतभाटा (चिसौड़गढ़)

आदेश

जा.फा 383/18
30/5/18

दृष्टव शय तहसीलदार रावतभाटा के आधार पर ग्राम जालखेड़ा की जमाबंदी सन् 2011-12 के आता संख्या 105 में रामकवरी बेवा जेना के बजाय रामकवरी धर्मपति-जेना दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।


उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा